

न्यायालय सिविल जज, प्रवर खण्ड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।

परिवाद संख्या-9463/2022

विन्दा देवी-----बनाम-----संतोष वगै०

19.12.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। बार-बार विभिन्न समयों पर पुकार कराने पर भी परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली आज वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० नियत है। परिवादिनी उपस्थित नहीं है और उसकी ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादिनी विगत अनेक तिथियों से भी लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रकट होता है कि परिवादिनी अपने परिवाद पर कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहती है। अतः परिवादिनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तद्विस्तार विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु आधार पर्याप्त न होने के कारण परिवादिनी का परिवाद धारा-203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

सिविल जज, प्रवर खण्ड/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज।